


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27 (213) ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/अभि./तक.अनु.स./2018-19 जयपुर, दिनांक 24/03/2021

—:: बैठक सूचना ::—


शासन सचिव, ग्रामीण विकास महोदय की अध्यक्षता में विभागीय ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2020 के प्रारूप हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 26.03.2021 को प्रातः 11:00-12:00 बजे ग्रामीण विकास विभाग के समिति कक्ष में आहुत की गई है, जिसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा तैयार प्रारूप पर चर्चा की जावेगी। बैठक में अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद समस्त विडियों कॉन्फ्रेंसिंग (NIC) के माध्यम से भाग लेंगे एवं मुख्यालय स्तर पर निम्न अधिकारियों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है :-

1. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
2. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज।
3. वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा।
4. अति० निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू-संरक्षण. विभाग।
5. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो०), पंचायती राज।
6. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
7. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गाँधी नरेगा।
8. परियोजना अधिकारी (अभि) ग्राविवि।
9. अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद समस्त (vc के माध्यम से)।


(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
5. जिला कलेक्टर, समस्त।
6. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज।
8. वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
10. संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.), ग्रामीण विकास।
11. अति० निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू-संरक्षण. विभाग।
12. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
13. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गाँधी नरेगा।
14. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो०), पंचायती राज।
15. परियोजना अधिकारी (अभि) ग्राविवि।
16. अधिशाषी अभियंता (अभि) जिला परिषद, समस्त।
17. इन्चार्ज, एनआईसी, मुख्य भवन शासन सचिवालय जयपुर को vc की व्यवस्था बाबत।
18. रक्षित पत्रावली।


के. के. शर्मा
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)